

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/ 22253

दिनांक: 18/11/19

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका विजयनगर जिला अजमेर में पैरवी की स्थायी व्यवस्था हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर पैनेल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्र.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका का नाम	Enrolment No.
1.	श्री सलीम बाबू पुत्र श्री जफरू	नगरपालिका विजयनगर (अजमेर)	आर 1228/2006
2.	श्री ताराचन्द पांडया पुत्र श्री हीरा लाल	नगरपालिका विजयनगर (अजमेर)	आर 1125/2002

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा।

(डॉ० प्रवीण कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)(17)डीएलबी/19/22254-63

दिनांक: 18/11/19

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग अजमेर।
05. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, विजयनगर जिला अजमेर।
06. श्री एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका, विजयनगर जिला अजमेर।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामशी